न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—302/2015/223 (2015/00078)

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 मोहनसिंह,
2. शेरसिंह पुत्र स्व0 मोहनसिंह,
3. सूरज कंवरी पुत्री स्व0 मोहनसिंह,
4. चांद कंवर पुत्री स्व0 मोहनसिंह,
5. छोटू कंवर पुत्री स्व0 मोहनसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम बेवन्जा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. जोरावरसिंह पुत्र स्व0 जवानसिंह,
2. लादूसिंह पुत्र स्व0 जवानसिंह,
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 जवानसिंह,
4. श्रीमती खुशाल कंवर पत्नि स्व0 जवानसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम बेवन्जा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

6. श्रीमती इन्द्रा कंवर पत्नि भैरूसिंह, जाति राजपूत, नि0 ग्राम बेवन्जा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
7. किशनसिंह सपुत्र भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बेवन्जा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
8. शिवा कंवर पुत्री स्व0 मोहनसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बेवन्जा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 19.6.2015 वाद संख्या 186/2012 .

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 5 .

निर्णय

दिनांकः—16.4.2019

1. यह अपील विद्वान अपर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 91 एवं 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी संख्या से 8 के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम बाबत् अपीलाधीन भूमि के प्रतिवादी संख्या 4 से 9 को खातेदार घोषित किया

जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर वादीगण को पाबंद किया जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 19.6.2015 को पारित कर वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्याया0 में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन भूमि के खातेदार कालूसिंह पुत्र नाहरसिंह, जाति राजपूत वर्तमान जमाबंदी के अनुसा दर्ज है तथा कालूसिंह के द्वारा उनके जीवनकाल में रूबरू गवाहान के वसीयतनामा दिनांक 2.1.1970 को अपीलांटस के पिता मोहनसिंह के पक्ष में निष्पादित किया तथा अपीलांट लक्ष्मणसिंह को कालूसिंह के द्वारा उनके जीवनकाल में गोद लिया गया । अपीलांट लक्ष्मणसिंह कालूसिंह का दत्तक पुत्र है तथा कालूसिंह का स्वर्गवास हो जाने पर बमुताबिक वसीयत अपीलाधीन भूमि के समस्त खातेदारी अधिकार अपीलांटस एवं प्रर्फोमा रेस्पो0 संख्या 6 से 8 के पिता मोहनसिंह को प्राप्त हो गये थे तथा अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 का ही है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीललांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में नियमित राजस्व वाद पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने अधी0न्याया0 में जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया । वाद प्रतिवादी संख्या 2 भैरूसिंह के वारिसान की तलबी एवं संशोधित वाद शीर्षक हेतु दिनांक 25.3.2015 को नियत किया गया तथा दिनांक 15.4.2015 एवं 29.4.2015 एवं 6.5.2015 नियत की गई किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण संख्या 6 से 8 अपीलांटस को सूचित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा विवादित भूमि के संदर्भ में धारा 135(2) राजस्व भू–अधि0 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तहसीलदार, नसीराबाद को प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया जबकि अपीलांटस के द्वारा काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था । बहस में आगे कथन किया कि वादपत्र में विवाद बिन्दु कायम किये गये थे तथा साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई थी किन्तु वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 2 का स्वर्गवास हो जाने के कारण वारिसान की तलबी हेतु नियत किया गया था परन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को सूचित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विधि के सिद्धांत के अनुसार वाद पत्र मे समक्ष पक्षकारान की तलबी की जाकर पक्षकारान की बहस सुनी जाकर ही वादपत्र में समस्त विवाद बिन्दुओं का निर्णय किया जाकर ही वादपत्र का निर्णय किया जा सकता था परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा समस्त कानूनी बिन्दुआं को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के काउन्टर क्लेम पर कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया जिससे भी अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम को दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर गुणावगुण व तथ्यों के आधार पर ही निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । वादी/रेस्पो0 ने वाद में आवश्यक पक्षकारों को भी पक्षकार नियुक्त नहीं किया जिससे भी वाद संधारण योग्य नहीं था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम की अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिया

जाकर निर्णय हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 825 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस एवं रेस्पो0 विवादित आराजियात के खातेदार कालूसिंह पुत्र नाहरसिंह के विधिक वारिसान है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण तहसीलदार, नसीराबाद को धारा 135 (2) राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के प्रावधानों के अनुसार विरासत की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी/अपीलांटस द्वारा वसीयत के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा के संबंध में काउन्टर क्लेम पेश किया गया था । वाद में तनकियात कायम करने के बाद पत्रावली साक्ष्य में नियत थी इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 2 भैरूसिंह का स्वर्गवास हो जाने पर उसके विधिक वारिसान की तलबी के संबंध में पत्रावली नियत की गई किन्तु दौराने कैम्प बिना वादी, प्रतिवादी की साक्ष्य लिये, बिना दस्तावेज को प्रदर्शित कराये तथा अपीलांटस के काउन्टर क्लेम को निर्णित किये बिना मृतक के विरूद्ध आदेश पारित किया गया जो विधिसंगत नहीं माना जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्राकृतिक उत्तराधिकार एवं दस्तावेजी उत्तराधिकार यानि वसीयत के संबंध में उत्तराधिकार के विवाद की स्थिति में तहसीलदार उत्तराधिकार घोषित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि प्राकृतिक उत्तराधिकार एवं वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार का निर्णय मात्र नियमित राजस्व वाद से ही हो सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा घोषणात्मक वाद एवं काउन्टर क्लेम को तहसीलदार को उत्तराधिकार के निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है जो अविधिक है एवं उपखण्ड अधिकारी को वाद एवं काउन्टर क्लेम को निस्तारण हेतु रिमाण्ड करने का क्षैत्राधिकार नहीं है । उपरोक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी का वाद एवं अपीलांटस के काउन्टर क्लेम को बिना साक्ष्य लिये एवं दस्तावेजात प्रदर्शित कराये बिना तथा मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित कर तहसीलदार, नसीराबाद को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद एवं काउन्टर क्लेम को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर